

समाहरणालय, सिमडेगा
कार्यालय, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सिमडेगा।

संशोधित पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सं०-०१ / २०१६-१७

- 1 विभाग का नाम :- कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची।
- 2 विज्ञापनदाता का नाम :- परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, सिमडेगा।
- 3 परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि/समय :- दिनांक 06.09.2016 से 07.09.2016 तक कार्यालय दिवस में पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक।
- 4 परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :- परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए० कार्यालय, सिमडेगा।
- 5 निविदा प्राप्त करने की तिथि/समय :- दिनांक 09.09.2016 (अपराह्न 3.00 बजे तक)
- 6 निविदा खोलने की तिथि/समय :- दिनांक 09.09.2016 (अपराह्न 4.00 बजे)
- 7 निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान :- परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, सिमडेगा का कार्यालय कक्ष।
- 8 कार्यों की विस्तृत विवरणी :-

क्र० सं०	ग्रुप सं०	योजना का समय	प्राक्कलित राशि (रु० में)	अग्रधन की राशि(रु०में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु०में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Upgradation of ST Boy's Hostel in Residential School Hatinghore, Bano Block	24,99,800.00	49,990.00	5,000.00	4 महीना
2	2	Upgradation of ST Girl's Hostel in Residential School Sewai, Simdega Block	24,99,800.00	49,990.00	5,000.00	4 महीना

निविदा की शर्तें www.Simdega.nic.in तथा समाहरणालय एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

परियोजना निदेशक,
आई०टी०डी०ए०, सिमडेगा।

पत्रांक:-.....(11)/ITDA, सिमडेगा दिनांक :-.....

प्रतिलिपि:-जिला सूचना पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ। निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट www.Simdega.nic.in पर Upload करना सुनिश्चित किया जाय।

परियोजना निदेशक,
आई०टी०डी०ए०, सिमडेगा।

निविदा हेतु नियम एवं शर्तें:-

1. प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है।
2. निविदादाता को गुप संख्या के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार एवं जिला परिषद् सिमडेगा की समुचित श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य है। समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
3. परिमाण विपत्र प्राप्त करते समय निविदा कारों के अद्यतन आयकर, स्वच्छता प्रमाण पत्र, अद्यतन लाईसेंस, अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र, पैन नम्बर की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
4. निविदा प्राप्त की तिथि को किसी कारणवश अवकाश घोषित होने पर अगले दिन निविदा प्राप्त की जायेगी।
5. अग्रधन राशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से विधिवत् प्रतिज्ञप्ति कर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवीं निगम) 3/5 वर्षीय सावधि जमा जो झारखण्ड राज्य के किसी भी डाकघर से निर्गत हों, के रूप में जमा करना होगा।
6. परिमाण विपत्र का मूल्य परिमाण विपत्र में अंकित राशि के अनुसार आवेदन के साथ बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक (भारतीय स्टेट बैंक का होना चाहिए) के रूप में अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से निर्गत हो, जो लौटाया नहीं जायेगा। बैंकर्स चेक भारतीय स्टेट बैंक सिमडेगा की मुख्य शाखा में भुगतये होगा।
7. निविदा डालने से पूर्व निविदाकार कार्यस्थल का निरीक्षण कर एवं निर्माण सामग्रियों के श्रोतों की जानकारी प्राप्त कर सन्तुष्ट हो लेंगे।
8. परिमाण विपत्र क्रय करने के लिए निबंधित संवेदक या उनके द्वारा प्राधिकृत सिर्फ एक व्यक्ति ही कार्यालय में उपस्थित होंगे।
9. निविदादाता को अपनी दर अंक एवं शब्द दोनों में दर्ज करना होगा।
10. ससमय कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र वाले निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
11. कार्य आवंटित होने के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ कर देना होगा, अन्यथा द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को कार्य आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
12. विशेष एवं अन्य कार्यों की जानकारी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य अवधि में सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त की जा सकती है।
13. सषर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

14. परिमाण विपत्र में अंकित दर से निविदादाता द्वारा उद्धृत अधिक दर मान्य नहीं होगी।
15. वैसे संवेदक की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके जिम्मे कोई कार्य लंबित हो, या विभाग में मामला विचाराधीन हो।
16. गुण नियंत्रण प्रतिवेदन संवेदक को प्रत्येक चालू विपत्र के साथ अपने खर्च पर स्वयं समर्पित करना होगा।
17. संवेदक द्वारा स्थल पर सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
18. कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री तथा सीमेन्ट, छड़, चिप्स, ईट, बालू आदि के गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ कार्यस्थल पर संवेदक को स्वयं आपूर्ति करनी होगी एवं उनका रख-रखाव तथा व्यवस्था संवेदक को निजी खर्च से वहन करना होगा।
19. आवंटन उपलब्ध होने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
20. निविदादाता के द्वारा समर्पित निविदा दर की राशि प्राक्कलित राशि से न्यूनतम (Below) 10 (दस) प्रतिशत के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
21. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,सिमडेगा।